

क्रमांक/रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/ 1654
प्रति

भोपाल, दिनांक 25.5.2019

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय :- अतिथि शिक्षकों को EKYC एवं सत्यापन की नवीन प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ- लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र. रा.मा.शि.अ./अतिथि/2019/1570 दिनांक 10.05.2019।

उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों के सत्यापन संबंधित निर्देश दिये गये थे। अतिथि शिक्षकों के एक से अधिक पंजीयन, EKYC एवं सत्यापन से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु एन.आई.सी. द्वारा सॉफ्टवेयर में किये गये परिवर्तन के उपरांत निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

प्रकरण-1 आवेदक ने दो मोबाईल (M1 एवं M2) पंजीकृत करा लिये हैं।

1. आवेदक ने मोबाईल नम्बर- M1 को सत्यापित करवा लिया है।
2. आवेदक ने मोबाईल नम्बर- M2 में EKYC करवा लिया है।

उक्त प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही करें:-

1. आवेदक के लिखित अनुरोध पर संकुल प्राचार्य DDO लागिन से सत्यापित मोबाईल नम्बर-M1 को पोर्टल पर उपलब्ध नवीन सुविधा "Cancel Application" के माध्यम से कैंसिल करें।
2. EKYC करा लिये गये मोबाईल नम्बर-M2 को संकुल प्राचार्य DDO लागिन से सत्यापित करें।

उक्त प्रक्रिया के पश्चात आवेदक का मोबाईल नम्बर-M1 कैंसिल के उपरांत gfms पोर्टल से हट जाएगा। भविष्य में किये जाने वाले कार्यों के लिये मोबाईल M2 का पासवर्ड इत्यादि संभाल कर रखे।


प्रकरण-2 संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित मोबाईल बन्द चुका है एवं आवेदक ने इस मोबाईल पर EKYC नहीं कराया है। इस प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही करें:-

1. आवेदक के लिखित अनुरोध पर संकुल प्राचार्य DDO लागिन से बन्द हो चुके मोबाईल को कैंसिल करें।
2. आवेदक द्वारा नवीन मोबाईल नम्बर से पंजीकरण एवं EKYC के उपरांत नवीन मोबाईल नम्बर को संकुल प्राचार्य सत्यापित कराएं।

उक्त प्रकरणों में आवेदक के बन्द मोबाईल नम्बर कैंसिल होने के उपरांत gfms पोर्टल से हट जाएंगे। आवेदक नवीन पंजीकृत एवं सत्यापित मोबाईल नम्बर का पासवर्ड इत्यादि संभाल कर रखे।

समस्त आवेदकों से अपेक्षा है कि एक से अधिक पंजीयन नहीं करें। आवेदक ने जिस मोबाईल नम्बर से EKYC किया है वही मोबाईल नम्बर भविष्य में अतिथि शिक्षक से संबंधित समस्त कार्यों (सत्यापन, अनुभव क्लेम इत्यादि) में प्रयोग किया जाएगा। अतः EKYC वाले मोबाईल नम्बर को ही सत्यापित कराये तथा इसका पासवर्ड इत्यादि संभाल कर रखें।

यदि किसी आवेदन के सत्यापन में समस्या आ रही है तो संकुल प्राचार्य डी.डी.ओ. लागिन पर आवेदक का आधार नम्बर दर्ज करके यह देख सकते हैं कि आधार नम्बर पर कौन सा मोबाईल नम्बर दर्ज है। संकुल प्राचार्य सत्यापित आवेदन को कैंसिल करने की सुविधा का उपयोग करते हुये प्रकरण-1 एवं 2 तथा सत्यापन संबंधी अन्य कार्य हेतु उनके विद्यालय में उपस्थित होने वाले आवेदकों के आवेदन को दिनांक 31.05.2019 तक सत्यापित करें।


(ज्योती क्रिवर्त)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462021

दूरभाष-0755-2583659 फैंक्स-0755-2583651

पृ. क्र. रा.मा.शि.अ./अतिथि/2019 /1655

भोपाल दिनांक 25.5.2019

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।

26
25/5/19
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.